

संशोधित विज्ञप्ति

विभाग द्वारा पूर्व में विज्ञप्ति क्रमांक एफ.वी.29(2)(1)स्थापन/ब-1/2011/1756 दिनांक 25.09.2013 द्वारा राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम 1977 व समय-समय पर संशोधित नियमों के अन्तर्गत वाहन चालकों की सीधी भर्ती के 65 (पैंसठ) पदों पर ट्रेड टेस्ट के माध्यम से नियुक्ति हेतु इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। उक्त विज्ञप्ति में अन्तिम तिथि 21.10.2013 में आंशिक संशोधन कर इसे 10.03.2014 किया जाता है।

पूर्व विज्ञप्ति दिनांक 25.09.2013 के अधीन निर्धारित तिथि तक सम्पूर्ण दस्तावेजों सहित आवेदन किए हुए व्यक्तियों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

रिक्त पदों का विवरण

पदनाम	कुल रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अनुसूचित जनजाति बैकलॉग		अन्य पिछड़ा वर्ग		विशेष पिछड़ा वर्ग		टी.ए.डी. अ.ज.जा.		सहरिया		सामान्य टी.ए.डी.	
		पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.
वाहन चालक	सीधी भर्ती- 49	17	6	5	2	4	1	2	7	2	-	-	1	-	-	-	-	2	-
	पशुपालन विभागीय कर्मचारी- 16	7	3	2	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	65																		

राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम 1977 व समय-समय पर संशोधित नियमों के अन्तर्गत 65 पदों में से 25 प्रतिशत पद पशुपालन विभागीय कर्मचारियों (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/पशुधन परिचर/घरवाहा (भेड)/जलधारी/सफाईकर्ता) के लिए आरक्षित रखे गये हैं।

नोट:- उपरोक्त पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है।

आरक्षण : उक्त विज्ञापित पदों की रिक्तियों में आरक्षण राजस्थान सरकार के प्रचलित नियमानुसार देय होगा।

आयु : आवेदक 01 जनवरी 2014 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 35 वर्ष से अधिक नहीं होना/होनी चाहिए। पशुपालन विभागीय कर्मचारियों के लिए आयु सीमा 40 वर्ष होगी। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आयु सीमा में छूट संबंधी प्रावधान लागू होंगे।

आवेदन शुल्क : सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु रु. 300/- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के आवेदक जो राजस्थान राज्य के स्थाई निवासी हैं, हेतु रु. 150/- है, का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर के नाम से देय हो, आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। उपरोक्त शुल्क किसी भी परिस्थिति में नहीं लौटाया जावेगा।

नोट:- राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्य के अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि.जा/वि.पि.व./टी.ए.डी. के अभ्यर्थियों एवं राजस्थान राज्य के अ.पि.व./वि.पि.व. के ब्रिमीलेयर श्रेणी के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा। अतः ऐसे आवेदक सामान्य श्रेणी का आवेदन भर कर आवेदन करेंगे।

2

- पद का वेतनमान : पी.बी.-1 5200-20200, ग्रेड-पे रू. 2400/- (6) चयनित अभ्यर्थियों को दो वर्ष के प्रोबेशनकाल में रूपये 7900/- प्रतिमाह नियत पारिश्रमिक देय होगा एवं दिनांक 01 जनवरी, 2004 से निर्धारित की गई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
- न्यूनतम अर्हता और अनुभव : किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण साथ में हल्के/भारी/विशेष वर्ग की यान चालन अनुज्ञप्ति और ऐसे यान को चलाने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव
- पात्रता की अन्य शर्तें : वजन 65 किलोग्राम से अधिक न हो, आँखों की दृष्टि चश्मा रहित/सहित- 6'X6', वाहन की रोड़ साईड रिपेयर का ज्ञान और वाहन चालन की दक्षता की जाँच ट्रेड टेस्ट द्वारा ली जावेगी। अतः पात्रता की जाँच/सत्यापन के समय किसी भी तरह से अयोग्य पाए जाने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा, इसमें विभाग किसी भी रूप से जिम्मेदार नहीं होगा। विभागीय कर्मी अपने नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत करें।
- आवेदन पत्र भेजने का पता एवं अन्तिम तिथि : आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में भरे हुए व्यक्तिशः अथवा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अन्तिम तिथि 10-03-2014 को सायः 05:00 बजे तक स्वीकार्य होंगे। निर्धारित समयावधि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे।
- आवेदन पत्र भेजने का पता चयन का आधार : निदेशक, पशुपालन विभाग, पशुधन भवन, टोंक रोड़, गांधी नगर मोड़, जयपुर-302015
- : राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम 1977 एवं समय-समय पर संशोधित नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार तथा ट्रेड टेस्ट के आधार पर चयन होगा। इस हेतु ट्रेड टेस्ट परीक्षण में ड्राइविंग टेस्ट के 60 अंक, सिम्युलेटर टेस्ट के 15 अंक, रोड़ साईड मरम्मत का ज्ञान के 25 अंक में से अंक दिए जाएंगे। ट्रेड टेस्ट में सफल रहे अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर अवधारित योग्यता क्रम से चयन किया जाएगा। भर्ती से संबंधित शेष दिशा-निर्देश, आवेदन पत्र व शपथ पत्र का प्रारूप तथा आवश्यक दस्तावेजों की सूची हेतु विस्तृत विवरण निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर की वेबसाइट www.animalhusbandry.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। राज्य सरकार उपरोक्त विज्ञापन को कारण बताए बगैर निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

21/03/14
निदेशक

वाहन चालक के पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रमाणित
फोटो

1. आवेदक का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. जन्मतिथि :
- (प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
4. शैक्षणिक योग्यता :
- (प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
5. वाहन चलाने का लाईसेंस : संख्या
- (प्रमाणित प्रति संलग्न करें) वर्ष वैधता दिनांक
6. लिंग (पुरुष/महिला) :
7. प्रवर्ग (सामान्य/अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./टी.एस.पी. :
- अजजा/टी.ए.डी.)
- (प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।)
8. आयु (दिनांक 01.01.2014 को) :वर्ष माह दिन
9. मूल निवास स्थान :
- (मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
10. पत्र व्यवहार का पता :
11. मोबाईल नम्बर :
12. रोजगार कार्यालय का पंजीयन संख्या, दिनांक प्रमाणित :
- प्रति सहित
13. आवेदक की वैवाहिक स्थिति (विवाहित/अविवाहित) :
- (रु. 10/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करें)
14. अनुभव वर्ष :
- (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
15. पूर्व में वाहन चालन के दौरान यदि कोई दुर्घटना हुई :
- तो अंकित करें।
- (रु. 10/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करें)
16. वाहन चालन के क्रम में पूर्व में कोई आपराधिक प्रकरण :
- लम्बित है तो अंकित करें।
- (रु. 10/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करें)



हस्ताक्षर प्रार्थी

शपथ पत्र

1. कि मैं पुत्र/पुत्री श्री एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचना एवं विवरण मेरी सबसे अच्छी जानकारी एवं विश्वास में सही, सत्य एवं पूर्ण है। इसके पश्चात यदि मेरे द्वारा दी गई कोई सूचना असत्य या गलत पाई जाती है या मुझे इस आवेदित पद हेतु अपात्र पाया जाता है, तो मेरा आवेदन रद्द करने के साथ साथ विभाग द्वारा जांच प्रारम्भ की जा सकती है। मैंने भर्ती विज्ञप्ति एवं सभी सुसंगत नियमों का गहनता एवं सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया है, समझ लिया है एवं मैं इनकी पालना करने के लिए प्रतिबद्ध एवं वचनबद्ध रहूंगा।
2. कि मैं सीधी भर्ती हेतु इस आवेदित पद के लिए विहित शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता एवं अन्य योग्यता, आयु इत्यादि के संबंध में पात्रता की सभी शर्तें पूरी करता/करती हूँ।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

चयन हेतु निदेशालय द्वारा सूचित दिनांक को निम्नांकित मूल दस्तावेज मय एक एक सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है :-

1. जन्म तिथि प्रमाणित करने हेतु स्कूल प्रमाण पत्र तथा संस्था के प्राचार्य से प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र।
2. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग / टी.ए.डी. / सहरिया का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र।
3. राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग जाति के अभ्यर्थियों हेतु उनके द्वारा प्रस्तुत नॉन क्रीमीलेयर का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र छः माह से पूर्व का नही होना चाहिए।
4. टी. ए. डी. क्षेत्र के सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा दिया गया विशेष निवास प्रमाण पत्र।
5. रोजगार कार्यालय के पंजीयन की प्रमाणित प्रति।
6. वाहन चलाने का मूल लाईसेंस एवं प्रमाणित प्रति।
7. वाहन चलाने का 5 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र
8. विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र।
9. संतान संबंधी घोषणा पत्र।
10. महिला आवेदको को अपने पिता के नाम, निवास स्थान के आधार पर जारी जाति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र
12. दो पृथक-पृथक राजपत्रित अधिकारियों द्वारा दिये गये चरित्र प्रमाण पत्र मूल प्रति में, जो 6 माह से पूर्व का न हो।
13. पासपोर्ट साईज के दो रंगीन फोटो।